# (CA ALL INTERMEDIATE BATCHES)

**DATE: 12.01.2021 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3¼ Hours**

## PAPER : AUDITING

## DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

## ANSWER (1-20) CARRY 1 MARK EACH

(1) Ans. d
(2) Ans. b
(3) Ans. b
(4) Ans. c
(5) Ans. d
(6) Ans. c
(7) Ans. b
(8) Ans. c
(9) Ans. c
(10) Ans. d
(11) Ans. c
(12) Ans. a
(13) Ans. d
(14) Ans. c
(15) Ans. c
(16) Ans. b
(17) Ans. c
(18) Ans. c
(19) Ans. c
(20) Ans. d

## ANSWER (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

(21) Ans. c
(22) Ans. c
(23) Ans. c
(24) Ans. d
(25) Ans. d

## DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS
## QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
## ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

**Answer 1:**

**Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)**

(i) **गलत** : अंकेक्षक को अपने कार्य की योजना बनाना चाहिए जो उसे एक प्रभावी तथा समयबद्ध तरीका में प्रभावी अंकेक्षक का परिचालन में समर्थ करता है। योजना मुवक्किल के व्यापार के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए।

(ii) **गलत** : SQC 1 ''फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का अंकेक्षण तथा समीक्षा अन्य आश्वासन तथा सम्बन्धित सेवा अंकेक्षण फाइलों के समूह के समयबद्ध पूर्णता के लिये फर्मो को नीतिया तथा प्रक्रियाऐं स्थापित करने की आवश्यकता है। फर्म का अंतिम अंकेक्षण फाइल की पूर्णता के

लिए उपयुक्त समय सीमा अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् साधारणतः 60 दिवस से ज्यादा नहीं है।

(iii) **गलत** : धोखाधड़ी में इसे छुपाने के लिए डिजाइन आधुनिक तथा ध्यानपूर्वक गठित योजना लिप्त हो सकती है। इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया एक जानबूझकर मिथ्या विवरण की खोज के लिए अप्रभावी हो सकता है जिसमें उदाहरण के लिए प्रपत्र का असत्यकरण के लिए सांठगांठ हो सकती है जो अकेंक्षक को यह विश्वास दिला सकता है कि अंकेक्षण साक्ष्य वैद्य है जब यह नहीं है। अकेंक्षक प्रपत्र की प्रमाणिकता में ना ही तो प्रशिक्षित ना ही विशेषज्ञ होने की अपेक्षा है।

(iv) **गलत :** अंकेक्षक अंकेक्षण प्रपत्रीकरण के भाग के रूप में इकाई के रिकार्ड की प्रतिलिपि (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट संविदा तथा समझौता सम्मिलित नहीं हो सकता) अंकेक्षण प्रपत्रीकरण इकाई का लेखांकन रिकार्ड का स्थानापन्न नहीं है।

(v) **गलत :** कठिनाई, समय अथवा लिप्त लागत एक अंकेक्षण प्रक्रिया जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है, को हटाने के लिए स्वयं में अंकेक्षक के लिए वैद्य कारण नहीं है।
उपयुक्त योजना अंकेक्षण का परिचालन के लिए पर्याप्त संचय तथा सूचना की प्रासंगिकता तथा इसका मूल्य समय के साथ कम हो जाता है तथा सूचना की विश्वसनीयता तथा इसकी लागत के मध्य संतुलन बनाना होता है।

(vi) **गलत :** जब अंकेक्षक ने निर्धारित किया है कि अभिकथन स्तर पर सारवान मिथ्या विवरण का समीक्षा जोखिम एक महत्वपूर्ण जोखिम है, अंकेक्षक मौलिक प्रक्रिया का निष्पादन करेगा जो उस जोखिम से विशेष रूप से प्रत्युत्तर में है, जब एक महत्वपूर्ण जोखिम से दृष्टिकोण केवल मौलिक दृष्टिकोण से मिलकर बना है। इन प्रक्रियाओं में विवरण का परीक्षण सम्मिलित होगा।

(vii) **सही :** SA-300, ''वित्तीय विवरण की अंकेक्षण की योजना'' के अनुसार योजना एक अंकेक्षण का अलग चरण नहीं है, परन्तु एक लगातार तथा दोहराने वाली प्रक्रिया है जो प्रायः गत अंकेक्षण की पूर्णता के पश्चात (अथवा के सम्बन्ध में) एक दम आरम्भ होता है तथा चालू अंकेक्षण लिप्तता की पूर्णता तक जारी रहता है।

(viii) **गलत :** एक अंकेक्षण आरोपित गलत करने के लिए एक अधिकारिक अन्वेषण नहीं है। तदानुसार, एक अंकेक्षक को विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, जैसे खोज का अधिकार जो एक अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है।

**{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}**

**Answer 2:**

**(a)** कृषि अग्रिम

दिशा–निर्देशों के अनुसार, कृषि अग्रिम दो प्रकार के हैं,

(1) ''लम्बी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम और

(2) ''छोटी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम

''लम्बी अवधि'' की फसलों के एक वर्ष से अधिक फसलों की फसल होगी और फसलों, जो ''लम्बी अवधि'' नहीं है, को ''लघु अवधि'' फसलों के रूप में माना जाएगा। **{2 M}**

प्रत्येक फसल के लिए फसल को मौसम, जिसका मतलब हैं, कि उठाए गए फसलों की कटाई की अवधि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित एनपीए मानदण्ड कृषि अग्रिमों (क्रॉप अवधि ऋण सहित) पर लागू होगेः

- अल्प अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसलों के मौसमों के लिए अतिदेय रहती हैं औरं,
- लंबी अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि एक फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त एक अतिदेय नहीं है।

**{2 M}**

**Answer:**

**(b)** ऐसे खाते जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा किए गए सुरक्षा/धोखाधड़ी के मूल्य में कटाव होता हैं, सम्पति वर्गीकरण के चरणों का पालन करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं। इसे सीधे–सीधे वर्गीकृत होना चाहिए, संदिग्ध या हानि सम्पति जैसा कि उपयुक्त हैं, **{$1^{1/2}$ M}**

(i) सुरक्षा के मूल्य में क्षरण को सिक्योरिटी के रूप में माना जा सकता है, जब सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित के 50 प्रतिशत से कम या आरबीआई द्वारा पिछले निरीक्षण के समय में स्वीकार किए जाते हैं, जैसा कि मामला हो। ऐसे एनपीए संदिग्ध श्रेणी के तहत सीधे–सीधे क्लास हो सकते है और संविधान सम्पति पर लागू प्रावधान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ii) यदि बैंक/अनुमोदित वैल्यूर्स/आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के रूप में सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य उधारकर्ता खातों मे बकाया का 10 प्रतिशत से कम हैं, तो सुरक्षा की मौजदूगी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और परिसम्पति सीधे दूर होनी चाहिए, हानि परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत। यह या तो लिखित ओएफएफ या बैंक द्वारा पूरी तरह से प्रदान किया जा सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

**Answer:**

**(c)** उपयुक्ता अंकेक्षण 'उपयुक्तता अंकेक्षण' के अनुसार अंकेक्षक उन अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय सम्बन्धित नियमों तथा नियमनों की सीमओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता हैं। समय बीतने के साथ–साथ यह अनुभव किया गया कि केवल नियमित अंकेक्षण ही सार्वजनिक हितों की उचित सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। एक लेन–देन को इन सभी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना होता हैं, जिनकी आवश्यकता नियमित लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों की पूर्णता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होती हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, परन्तु ये अब भी अत्यन्त दोषपूर्ण हो सकती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज (Telephond Exchange) को लगाने में इमारत का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इस भवन का उपयोग हो सकता हैं, उस रूप में न किया जाये, परिणापस्वरूप ऐस व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परिणामस्वरूप ऐसे व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परन्तु उसका प्रयोग पाँच वर्षो के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हो जाए तब किया जाये यह अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित एवं दशा है। **{1 M}**

अतएव अंकेक्षण सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता को बुद्धि, वफादारी तथा लेन–देनों की किफायत के सन्दर्भ में देखने का प्रयास करता हैं, जिससे उच्चस्तरीय मानकों को प्राप्त किया जा सके। इन विचारों से उपयुक्तता अंकेक्षण का उदय हुआ, जिन्हें अब अंकेक्षण अधिकरणों के साथ नैतिक कार्यो की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्तता के प्रति अंकेक्षण के मार्ग को नियंत्रित करने हेतु किसी सूक्ष्म नियमावली का सृजन काफी कठिन होता है। अंकेक्षक का एक उद्देश्य अपनी स्वीकृति के लिए सामान्य विवके तथा अंकेक्षकों की तर्कशक्ति की अपील करता है तथा उन व्यक्तियों के विवके की मांग करता है, जिनके वित्तीय लेन–देन उपयुक्तता अंकेक्षण के क्षेत्र में आते है। वैसे कुछ सामान्य सिद्धान्त अंकेक्षण मानदण्ड संहिता में बनाये गये हैं, जिनको काफी लम्बे समय से वित्तीय औचित्य का मानदण्ड माना जा रहा है। औचित्य के प्रति अंकेक्षण यह आश्वासन पाने का प्रयास करता है कि व्यय इन सिद्धान्तों से मेल खाते हैं, जिनको नीचे समझाया जा रहा है: **{1 M}**

(a) व्यय सरसरी तौर से मौके की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सावधानी बरते जो एक सामान्य विवेकशील प्राणी अपने निजी धन के खर्चे के सम्बन्ध में बरतता है।

(b) कोई भी सत्ता ऐसे व्ययों की स्वीकृति की शक्ति का उपयोग न करे ऐसा आदेश पास करने के लिए जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके अपने निजी लाभों के लिए हो।

(c) सार्वजनिक धन को समाज के किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हितार्थ उपयोग न किया जाये जब तक कि: **{1 M}**

  (i) सन्निहित व्यय की राशि महत्वहीन सी न हो; या
  (ii) राशि के लिए कोई दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय न कराया जा सके; या
  (iii) व्यय मान्य नीतियाँ तौर–तरीके के अनुरूप न रहे; तथा
  (iv) भत्तों की राशि जैसे यात्रा भत्ता एक विशेष प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाता है, इसको इस प्रकार किया जाये कि भत्ते, कुल–मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ के स्रोत न बन जायें।

**Answer:**

**(d)** CAG की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धाराओं (5), (6) व (7) में निर्धारित है। एक सरकारी कम्पनी की दशा में CAG धारा 139 की उपधारा (5) या (7) के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा अर्थात् प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति या बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति और ऐसे अंकेक्षक को सरकारी कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण के बारे में निर्देश देगा कि उनका अंकेक्षण किस ढंग से किया जाए। इस प्रकार से नियुक्त अंकेक्षक CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा, अन्य बातों के अतिरिक्त उससे निर्देश होंगे, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही और इसका कम्पनी लेखों और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाला प्रभाव। **{1 M}**

CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अधिकार होगा।

(a) ऐसी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कराने का जिन्हें वह इस संबंध में अधिकृत करें। ऐसे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना या अतिरिक्त सूचना दे, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसे व्यक्तिय या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे ढंग से जैसा वह CAG निर्देश दे। **{$1^{1/2}$ M}**

(b) ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणी और उसे पूरक करें :

बशर्ते कि CAG द्वारा की गई टिप्पणी या पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, अर्थात् कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्रों के न्यासी को और सभी व्यक्तियों को ऐसे सदस्यों या न्यासी को छोड़कर, जो इसे प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ–साथ कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय और उसी ढंग से।

नमूने का अंकेक्षण (Test Audit) : पुनः अंकेक्षण और अंकेक्षक के संबंध में प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बगैर CAG उन कम्पनियों के संबंध में, जो धारा 139 की उपधारा (5) और (7) में समामेलित है, यदि वह आवश्यक समझें एक आदेश के द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों के नमूने की अंकेक्षण जॉच (Test Audit) कर सकता है। ऐसे नमूने को अंकेक्षण जॉच की रिपोर्ट के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, एक सरकारी कम्पनी की दिशा में अंकेक्षण पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है। CAG कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत पूरक या नमूने की जॉच अंकेक्षण करवाने के लिए अधिकृत है। **{$1^{1/2}$ M}**

**Answer 3:**

**(a)** **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 13 की धारा 141(3)(c) निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति जो कम्पनी का अधिकार अथवा कर्मचारी का साझेदार अथवा रोजगार में है जो एक कम्पनी का अंकेक्षक के रूप में कार्यवाही के लिए अयोग्य होगा। धारा 141 की उपधारा 4 प्रदान करता है कि एक अंकेक्षक जो अपनी नियुक्ति के पश्चात् धारा 141 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अयोग्यता के तहत है, वह एक अंकेक्षक के रूप में अपने पद को खली किया माना जायेगा। **{2 M}**

**निष्कर्ष** : वर्तमान मामले में, Laxman Limited का एक अंकेक्षक श्री A ने Laxman Limited का वित्त प्रबंधक श्री B के साथ साझेदार के रूप में सम्मिलित हुआ। दी गयी स्थिति में धारा 141 की उपधारा (3)(c) प्रभावित हुई तथा इसलिए, उसे धारा 141 की उपधारा (4) के अनुसार Laxman Limited का अंकेक्षक का पद को छोड़ा हुआ माना है। **{2 M}**

**Answer:**

**(b)** **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140 की उपधारा (2) की गैर अनुपालना के लिए अंकेक्षक जुर्माना से सजा योग्य होगा जो 50,000 रू. से कम नहीं होगा अथवा अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के अन्तर्गत 5,00,000 लाख रू. तक हो सकती है। **{2 M}**

**निष्कर्ष** : इसलिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(3) के अन्तर्गत जुर्माना 30,000 रू. से कम नहीं होगा परन्तु 5,00,000 लाख रू. तक हो सकता है। **{2 M}**

**Answer:**

**(c)** **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) के प्रावधान के द्वारा संचालित है जो वर्णित करता है कि सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक को कम्पनी की पंजीकरण की तिथि से 60 दिवस के अंदर नियंत्रक तथा महालेखाकार के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। **{2 M}**

**निष्कर्ष** : इसलिए, Bhartiya Petrol Ltd. का निदेशक मंडल द्वारा किया प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति व्यर्थ है। **{1 M}**

**Answer:**

**(d)** कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(1) के अन्तर्गत अंकेक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमतिः अंकेक्षक को उसकी अवधि से पूर्व अर्थात् उसके रिपोर्ट को देने से पूर्व हटाना एक गंभीर मामला है तथा उसकी स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। **{1 M}**

आगे, हित का ठकराव के मामले में, अंशधारक अपने हित में अंकेक्षकों को हटा सकते है।
इसलिए, कानून ने सुरक्षा प्रदान की है ताकि केंद्रीय सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिए कारण जान सके तथा यदि संतुष्ट नहीं है, तो अनुमति नहीं देगी। **{1 M}**

दूसरी तरफ यदि अंकेक्षक ने अपनी पूरी कर ली है अर्थात् उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसके पश्चात् उसे पुनः नियुक्त नहीं किया, तब केंद्रीय सरकार उसके हस्तक्षेप के लिए गंभीर नहीं है। **{1 M}**

**Answer 4:**

**(a)** अंकेक्षक के अंकेक्षण जोखिम को शून्य तक करने की अपेक्षा नहीं की जाती तथा ना ही की जा सकती है तथा इसलिए वित्तीय विवरण से पूर्ण आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता कि वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है। ऐसा है कि क्योंकि अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमायें है। यह एक अंकेक्षण की अर्न्तनिहित परिसीमा के कारण हैः **{1 M}**

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रकृतिः वित्तीय विवरण की तैयारी में इकाई की तथ्यों तथा परिस्थितियों का इकाई की लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता को लागू करने में प्रबन्धन द्वारा निर्णयन लिप्त है। इसके अतिरिक्त कई वित्तीय विवरण मदों में विषयपूरक निर्णय अथवा समीक्षा अथवा अनिश्चितता की डिग्री लिप्त है तथा स्वीकार्य व्याख्या अथवा निर्णयन की श्रृंखला हो सकती है जिसे किया जा सकता है। **{1 M}**

(ii) अंकेक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृत्तिः अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने की अंकेक्षक की योग्यता पर व्यवहारिक तथा कानूनी सीमा है। उदाहरण के लिएः

1. यह संभावना है कि प्रबंधन अथवा अन्य जानबूझकर अथवा अनजाने में पूर्ण सूचना को प्रदान ना करें जो वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है अथवा जिसका अनुरोध अंकेक्षक द्वारा किया है।
2. धोखाधड़ी में उसे छुपाने के लिए अनुरोध अत्याधुनिक तथा ध्यानपूर्वक डिजाइनें योजना लिप्त है। इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया एक जानबूझकर मिथ्या विवरण की खोज के लिए अप्रभावी हो सकती है, उदाहरण केलिए प्रपत्रीकरण का असत्य करने के लिए सांठगांठ हो सकती है जो अंकेक्षण को यह विश्वास दिला सकती है कि अंकेक्षण साक्ष्य वैध है जबकि यह है नहीं। अंकेक्षक ना ही प्रशिक्षित ना ही प्रपत्र के प्रमाणीकरण में दक्ष है। **{1 M}**
3. एक अंकेक्षण आरोपित गलत करने में एक अधिकारिक अन्वेषण नहीं है, तदानुसार अंकेक्षक को विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, जैसे खोज का अधिकार जो कि एक अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा लाभ तथा लागत के मध्य संतुलनः कठिनाई, समय अथवा लिप्त लागत का मामला स्वंय में अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया को छोड़ने का वैध आधार नहीं है, जहां पर कोई विकल्प नहीं है।

उपयुक्त योजना अंकेक्षण का परिचालन के लिए उपलब्ध पर्याप्त समय तथा संसाधन को बनाने में सहायता करते हैं। इसके बावजूद, सूचना की प्रासंगिकता तथा इसका मूल्य समय के साथ कम होता है तथा सूचना की विश्वसनीयता तथा इसकी लागत के मध्य संतुलन नहीं है। **{1 M}**

(iv) अनय मामले जो एक अंकेक्षण की सीमा को प्रभावित करते हैः कुछ विषय वस्तुओं के मामले में, सारवान मिथ्या विवरण को खोजन की अंकेक्षक की परिसीमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अभिकथन अथवा विषय वस्तु में सम्मिलित है। **{1 M}**

- धोखाधड़ी विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधन का शामिल होना अथवा सांठगांठ
- संबंधित पक्ष संबंध तथा सौदे की विद्यमानता तथा पूर्णता
- कानून तथा अधिनियमों का गौर अनुपालन का घटित होना
- भावी घटना अथवा स्थिति जो एक इकाई को चलायमान संस्था को जारी नहीं रखती।

**Answer:**

**(b)** अंकेक्षक अपने समस्त अंकेक्षण कार्यक्रम को केवल उसके द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसके वास्तविक परिचालन की संतोषजनक समझ के पश्चात् बना सकता है। यदि वह इस पक्ष का अध्ययन करने की परवाह नहीं करता, यह संभावना है कि अंकेक्षण प्रोग्राम अनावश्यक रूप से भारी बन जाता है तथा अंकेक्षण का उद्देश्य प्रविष्टियों तथा वाउचर्स के ढेर में गुम हो जाता है। उसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या प्रणाली वास्तव में परिचालन में है। प्रायः एक प्रणाली की स्थापना के पश्चात् प्रबंधन द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपयुक्त अनुगमन नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति में अंकेक्षक को विश्वास दिलाया जाता है कि प्रणाली परिचालन में है जबकि वास्तविकता यह परिचालन में नहीं है अथवा ज्यादा से ज्यादा केवल आंशिक रूप से परिचालित होता है। संभवतः कार्यकलाप सबसे खराब है कि जो अब तक अंकेक्षक की नजर में आया है तथा वह भ्रम की स्थिति में होगा यदि वह परवाह नहीं करता। **{2 M}**

यह बेहतर होगा यदि अंकेक्षक ग्राहक की अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा कर सकता है। यह उसे नियंत्रण तथा प्रभाव को आत्मसात करने में पर्याप्त समय देना होगा तथा उसे अंकेक्षण कार्यक्रम को बनाने में ज्यादा वस्तुपरक होगा। यह प्रणाली की कमजोरी को प्रबंधन को नोटिस में लाने की स्थिति में होगा तथा सुधार के लिए माप को सुझायेगा। एक आगे अंतरिम तिथि अथवा अंकेक्षण के दौरान यह ज्ञात कर सकता है कि किस प्रकार कमजोरी को हटाया गया है। **{1 M}**

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम की हद तथा प्रकृति परिचालन में अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित है। परीक्षण जांच की योजना का निर्णय करने में, अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की विद्यमानता तथा परिचालन काफी महत्व का है। **{1 M}**
आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की उपयुक्त समझ अपनी विषय वस्तु तथा वर्किंग भी एक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्यक्रम को कवर किये जाने वाला विभिन्न क्षेत्र में लागू किये जाने वाले उपयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्णय लेने में समर्थ करता है।

एक स्थिति में जहां पर आंतरिक नियंत्रण को कुछ क्षेत्र में कमजोर माना जाता है, अंकेक्षक एक अंकेक्षण प्रक्रिया अथवा परीक्षण को चुन सकता है जिसकी अन्यथा आवश्यकता नहीं है। वह सौदो की बड़ी संख्या अथवा अन्य मदों को कवर करने के लिए अन्य परीक्षण को बढ़ा सकता है तथा कई समय वह उस पर आवश्यक संतुष्टि लाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण कर सकता है। **{1 M}**

**Answer:**

**(c)** अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षक की राय तथा रिपोर्ट के समर्थन के लिए आवश्यक है। यह प्रकृति में संचयी है तथा मुख्यतः अंकेक्षक के दौरान निष्पादित अंकेक्षण प्रक्रिया से प्राप्त किया है। यद्यपि इसमें अन्य स्त्रोत जैसे गत अंकेक्षण से प्राप्त सूचना सम्मिलित होगी। इकाई के अंदर तथा बाहर स्त्रोत के अतिरिक्त इकाई का लेखांकन रिकॉर्ड अंकेक्षण साक्ष्य का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। साथ में सूचना जिसे अंकेक्षण साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, को प्रबन्धन का विशेषज्ञ का कार्य उपयोग कर तैयार किया जाता है। अंकेक्षण साक्ष्य दोनों सूचनाओं से मिलकर बना है जो प्रबन्धकीय अभिकथन का समर्थन तथा सपुष्टी करता है तथा कोई सूचना जो इस प्रकार का अभिकथन का खंडन करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलो में, सूचना का अभाव (उदाहरण के लिए, प्रबन्धन की आवेदित प्रतिरूप को प्रदान करने में इन्कार करना) को अंकेक्षक द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तथा इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य बनाता है। **{2 M}**

अंकेक्षक की राय बनाने में ज्यादातर अंकेक्षक का कार्य अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने तथा आंकलन करने से मिलकर बना है। अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया में जांच के अतिरिक्त निरीक्षण अवलोकन पुष्टी, पुनः गणना, पुनः निष्पादन तथा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया प्रायः कुछ समन्वय में सम्मिलित हो सकती है। यद्यपि जांच महत्वपूर्ण अंकेक्षण साक्ष्य को प्रदान करती है तथा मिथ्या विवरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, जांच अकेली अभिकथन स्तर पर सारवान मिथ्या विवरण के अभाव का पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य अथवा नियंत्रण की परिचालन प्रभावदेयता को प्रदान नहीं करता। **{1 M}**

जैसा एस.ए. 200 ''स्वतंत्र अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य तथा अंकेक्षण पर मानक के अनुसार एक अंकेक्षण का परिचालन'' में स्पष्ट किया है, उचित आश्वासन को प्राप्त किया जाता है जब अंकेक्षक ने अंकेक्षण जोखिम (अर्थात जोखिम जिस पर अंकेक्षक एक अनुपयुक्त राय प्रकट करता है जब वित्तीय विवरण सारवान रूप से मिथ्या वर्णित है, की स्वीकार्य न्यून स्तर तक कम करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता तथा उपर्युक्तता एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। **{1 M}**

**Answer 5:**

**(a)** एक एन.जी.ओ. का अंकेक्षण की योजना बनाते हुए, अंकेक्षक निम्न पर ध्यान केन्द्रित कर सकता हैः

(i) एन.जी.ओ. का कार्य इसका मिशन तथा विजन, परिचालन का क्षेत्र तथा वातावरण जिसमें यह परिचालित होती है, का ज्ञान।

(ii) हाल की संशोधन, परिपत्र, विधान से संबंधित न्यायिक निर्णय के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक विधान का ज्ञान को अपडेट करना।

(iii) संस्था का कानूनी स्वरूप तथा इसको पार्षद सीमा नियम, पार्षद अर्न्तनियम, नियम तथा विनियमन की समीक्षा।

(iv) एन.जी.ओ. का संगठनात्मक चार्ट, तब वित्तीय तथा प्रशासकीय मेन्युल, प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम मार्गदर्शिका, फंडिंग एजेंसी आवश्यकता तथा फोरमेट, बजंटरी नीतिया यदि कोई है, की समीक्षा।

(v) बोर्ड/प्रबंधकीय समिति/संचालन संस्था/प्रबंधन तथा उसकी समिति की मिनटों का परीक्षण ताकि वित्तीय रिकॉर्ड पर किसी निर्णय का प्रभाव को ज्ञात किया जा सके।

(vi) एन.जी.ओ. के लिए विद्यमान लेखांकन प्रणाली, प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच का अध्ययन तथा उनके लागू करने का सत्यापन।

(vii) अंकेक्षण उद्देश्य के लिए सारवानता स्तर की स्थापना।

(viii) रिपोर्ट अथवा अन्य संप्रेषण की प्रकृति तथा समय।

(ix) विशेषज्ञ तथा उनकी रिपोर्ट की लिप्तता।

(x) गत वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा।

**Any Ten Each 1/2 Mark = Total 5 Marks**

**Answer:**

**(b)** कारकों पर निर्भर अंकेक्षण प्रपत्रीकरण का स्वरूप, विषयवस्तु तथा हद जैसेः

1. इकाई की जटिलता तथा आकार
2. निष्पादित किये जाने वाले अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रकृति **{2 M}**
3. सामग्री मिथ्या विवरण की जोखिम की पहचान
4. प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य का महत्व
5. पहचान अपवाद की प्रकति तथा हद **{1 M}**
6. प्राप्त अंकेक्षण अथवा निष्पादित कार्य का प्रपत्रीकरण से तुरंत पहचान योग्य नहीं निष्कर्ष के लिए आधार अथवा निष्कर्ष के लिए प्रपत्र की आवश्यकता **{1 M}**
7. प्रयुक्त किये गये अंकेक्षण कार्यप्रणाली तथा उपकरण

**Answer:**

**(c)** अंकेक्षक को एक कुशल तथा समयबद्ध तरीके में एक प्रभावी अंकेक्षण के परिचालन में उसे समर्थ करने के लिए अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। योजना ग्राहक के व्यापार के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। **{1 M}**

(a) ग्राहक की लेखांकन प्रणालियाँ, नीतियों तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान अधिगृहित करना **{1 M}**

(b) आंतरिक नियंत्रण पर निर्भरता की प्रत्याशित सीमा निर्धारित करना **{1 M}**

(c) किये जाने वाले अंकेक्षण की प्रकृति, समयबद्धता तथा विस्तार का निर्धारण करना तथा प्रोग्रामिंग करना, तथा **{1 M}**

(d) किये जाने वाले कार्य को समन्वित करना **{1 M}**

**Answer 6:**

**(a)** अंकेक्षक प्रलेख बनायेगाः

(a) सम्पूर्ण अंकेक्षण व्यूहरचना

(b) अंकेक्षण योजना, तथा

(c) सम्पूर्ण अंकेक्षण व्यूहरचना अथवा अंकेक्षण योजना की अंकेक्षण लिप्तता के दौरान किये गये किसी पर्याप्त बदलाव तथा ऐसे परिवर्तन के लिये कारण। **{1 M}**

सम्पूर्ण अंकेक्षण संरचना का प्रपत्रीकरण लिप्तता दल को महत्वपूर्ण मामलों का सम्प्रेषण करने तथा अंकेक्षण का सही ढंग से योजना बनाने के लिए आवश्यक माने जाने वाले प्रमुख निर्णय का रिकार्ड है।

उदाहरण के लिए, अंकेक्षक अनुस्मारक के स्वरूप में सम्पूर्ण अंकेक्षण व्यूहरचना का सारांश कर सकता है जो अंकेक्षण का सम्पूर्ण क्षेत्र, समय तथा परिचालन के संबंध में मुख्य निर्णय को समाहित करता है।

अंकेक्षण योजना का प्रपत्रीकरण समीक्षा जोखिम की योजनाबद्ध प्रकृति, समय तथा हद तथा समीक्षा जोखिम के प्रत्युत्तर में अभिकथन स्तर पर आगे अंकेक्षण प्रक्रिया का रिकार्ड है। यह अंकेक्षण प्रक्रिया की उपयुक्त योजना का रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जिसे उसके निष्पादन से पहले अनुमोदित किया जा सकता है। अंकेक्षक विशेष लिप्तता परिस्थिति को परिलक्षित करने के लिए जैसा आवश्यक है मानक अंकेक्षण कार्यक्रम तथा/अथवा पूर्णता जांच सूची का उपयोग कर सकते हैं। सम्पूर्ण अंकेक्षण व्यूहरचना तथा अंकेक्षण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव तथा अंकेक्षण प्रक्रिया की योजनाबद्ध प्रकृति, समय तथा हद को परिणामतः बदलाव का रिकार्ड स्पष्ट करता है कि क्यों पर्याप्त बदलाव किया है तथा सम्पूर्ण व्यूहरचना तथा अंकेक्षण योजना को अंततः अंकेक्षण के लिए अपनाया है। **{2 M}**

उदाहरण के लिए–

निम्न चीजें अंकेक्षक का प्रपत्र के भाग होनी चाहिएः

- इकाई की प्रमुख निर्णय कर्ता के साथ चर्चा का सारांश
- सेवा की अंकेक्षण समिति की पूर्व अनुमति का प्रपत्रीकरण, जब आवश्यक है
- अंकेक्षण प्रपत्रीकरण पहुँच पत्र
- हमारी सेवा के क्षेत्र में बदलाव अथवा क्षेत्र के संबंध में प्रबंधन अथवा संचालन से प्रभारित व्यक्तियों के साथ अन्य संप्रेषण अथवा समझौता
- इकाई के वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक की रिपोर्ट
- अन्य रिपोर्ट जैसा लिप्तता समझौते में निर्दिष्ट है। (उदाहरणतः ऋण प्रतिज्ञापत्र अनुपालन पत्र)

**{2 M}**

**Answer:**

**(b)** आज की डिजिटल आयु में जब व्यापार को परिचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा नेटवर्क पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते है, डाटा तथा सूचना की राशि जो इस प्रणाली में प्रचुर रूप से विद्यमान एक प्रसिद्ध व्यापारी ने हाल में कहा है, ''डेटा एक नया तेल है''। **{1 M}**

प्रक्रिया, उपकरण तथा तकनीक का समन्वय जिसे अर्थपूर्वक सूचना को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक डाटा की विशाल राशि का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, को डाटा विश्लेषण कहते हैं। जबकि यह सत्य है कि कम्पनी बढ़ी हुई लाभदायकता, बेहतर ग्राहक सेवा, प्रतिस्र्द्धी लाभ को प्राप्त करने, ज्यादा कुशल परिचालन इत्यादि के संदर्भ में डाटा विश्लेषण के उपयोग से काफी लाभ उठा सकती है, यहां तक अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया में इसी प्रकार के उपकरण तथा तकनीक का उपयोग कर सकते हैं तथा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपकरण तथा तकनीकी जिसे डाटा विश्लेषण का सिद्धात लागू करते हैं, को कम्प्यूटर सहायक अंकेक्षण तकनीक अथवा संक्षेप में CAAT है। **{2 M}**

डाटा विश्लेषण का स्प्रेडशीट तथा विशेषज्ञ अंकेक्षण उपकरण जैसे IDEA तथा ACL को निम्न में निष्पादन के लिए उपयोग कर आई.टी. प्रणाली में रहने वाले डाटा तथा इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के परीक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है।

- डाटा तथा जनसंख्या पूर्णता की जांच करना जिसे या तो नियंत्रण के परीक्षण में अथवा यथार्थवाही अंकेक्षण परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है
- अंकेक्षण सेम्पल का चयन – यादृच्छिक सेम्पलिंग, क्रमबद्ध सेम्पलिंग
- शेष की पुर्नगणना – सौदा डाटा से तलपट की पुनः संरचना
- गणितीय गणना का पुनः निष्पादन – ह्रास, बैंक ब्याज गणना
- जर्नल प्रविष्टी का विश्लेषण जैसा द्वारा आवश्यक है
- धोखाधड़ी अन्वेषण
- नियंत्रण कमियों के प्रभाव का आंकलन

**{2 M}**

**Answer:**

**(c)** धोखाधड़ी के परिणाम से सारवान मिथ्या विवरण को ना खोजने को जोखिम त्रुटि के परिणाम से ना खेजने की जोखिम से अधिक है। यह इसलिए क्योंकि धोखाधड़ी ने इसे छुपाने के लिए अत्याधुनिक तथा ध्यानपूर्वक आयोजित योजना लिप्त होती है जैसे जालसाजी, सौदे को रिकार्ड करने में जानबूझकर विफलता अथवा अंकेक्षक को जानबूझकर मिथ्या विवरण करना। छुपाने का इस प्रकार का प्रयास खोजने में ज्यादा कठिन हो सकता है जब सांठगांठ के साथ संलग्न है। **{2 M}**

सांठगांठ अंकेक्षक को विश्वास दिला सकता है कि अंकेक्षण साक्ष्य व्यापक है जबकि वास्तव में यह असत्य है। एक धोखाधड़ी को खोजने में अंकेक्षक की योग्यता धोखाधड़ी करने वाली की कुशलता, गड़बड़ी की आवृति तथा हद, लिप्त सांठगांठ की डिग्री, गड़बड़ की गयी व्यक्तिगत राशि का तुलनात्मक आकार तथा लिप्त इन व्यक्तियों की वरीयता पर निर्भर है, जबकि अंकेक्षक की जाने वाली धोखाधड़ी की भावी अवसर की पहचान करने में समर्थ हो सकता है, अंकेक्षक के लिए निर्धारित करना कठिन है, क्या निर्णय क्षेत्र में मिथ्या विवरण जैसा लेखांकन अनुमान धोखाधड़ी के कारण है अथवा त्रुटि के कारण है। **{2 M}**

__**__